

State Supports Mission

1.1	Particulars of its organization, functions and duties(Section 4(1)(b)(i)	
1.1.1	Name and address of the Organization	<p>State Support Mission is an umbrella initiative of NITI Aayog aimed at fostering structured and institutionalised engagement of NITI Aayog with States and UTs. The mission is strategically designed to facilitate States/UTs to develop a roadmap to achieve their socio-economic goals and facilitate their development strategies in alignment with national priorities, with a special focus to the core strength areas of the respective State/UT. Under this mission, NITI Aayog is supporting interested States to establish State Institutions for Transformation (SIT) that can act as a multi-disciplinary resource to steer the development strategies in the States/UTs. The States/UTs can either establish a separate institution as SIT or reimagine the role of their existing institutions, such as planning departments and boards. SITs may comprise officials from State/UT governments and lateral entrants with sector specific expertise.</p>
1.1.2	Head of the organization	
1.1.3	Vision, Mission and Key objectives	
1.1.4	Function and duties	
1.1.5	Organization Chart	
1.1.6	Any other details-the genesis, inception, formation of the department and the HoDs from time to time as well as the committees/ Commissions constituted from time to time have been dealt	

(हिंदी अनुभाग)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य [धारा 4(1) बी (ii)]

क्रम सं.	विषय	सूचना
1.2.1 व 1.2.5	अधिकारियों का कार्य आबंटन	<p>1. सूरज प्रकाश बडगूजर, परामर्शदाता - राजभाषा कार्य विवरण:</p> <p>(क) राजभाषा नीति के संलग्न अनुलग्नक के अनुसार कार्यान्वयन कार्य कराना और उसकी निगरानी करना।</p> <p>(ख) अनुवादकों द्वारा किए गए अनुवाद कार्य का पुनरीक्षण कार्य।</p> <p>2. श्री नवीन कुमार टोप्पो, उप निदेशक - राजभाषा कार्य विवरण:</p> <p>(क) राजभाषा नीति के संलग्न अनुलग्नक के अनुसार कार्यान्वयन कार्य कराना और उसकी निगरानी करना।</p> <p>(ख) अनुवादकों द्वारा किए गए अनुवाद कार्य का पुनरीक्षण कार्य।</p>
1.2.2 व 1.2.5	कर्मचारियों का कार्य आबंटन	<p>1. श्री राम बाबू, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी कार्य विवरण:</p> <p>(क) अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सौंपे गए राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कार्य।</p> <p>(ख) अनुवाद कार्य</p> <p>2. सुश्री नित्या आर., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी कार्य विवरण:</p> <p>(क) अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सौंपे गए राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कार्य।</p> <p>(ख) अनुवाद कार्य</p> <p>3. श्रीमती तपोजा दत्ता, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी कार्य विवरण:</p> <p>(क) अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सौंपे गए राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कार्य।</p> <p>(ख) अनुवाद कार्य</p> <p>4. श्रीमती सोनिया शर्मा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी कार्य विवरण:</p> <p>(क) अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सौंपे गए राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कार्य।</p> <p>(ख) अनुवाद कार्य:</p> <p>5. श्री अजीत कुमार ठाकुर, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी कार्य विवरण:</p>

		<p>(क) अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सौंपे गए राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कार्य।</p> <p>(ख) अनुवाद कार्य:</p> <p>6. श्री अमन राज, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी कार्य विवरण:</p> <p>(क) अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सौंपे गए राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कार्य।</p> <p>(ख) अनुवाद कार्य:</p> <p>7. श्री विनय कुमार, निजी सहायक कार्य विवरण:</p> <p>(क) अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सौंपे गए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन कार्य से संबंधित आशुलेखन एवं टंकण कार्य।</p> <p>(ख) टंकण कार्य: उपर्युक्त (ब) से संबंधित अनुवाद का टंकण और त्रुटिशोधन कार्य।</p> <p>8. श्री दीपक बिष्ट, आशुलिपिक 'घ' कार्य विवरण:</p> <p>(क) अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सौंपे गए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन कार्य से संबंधित आशुलेखन एवं टंकण कार्य।</p> <p>(ख) टंकण कार्य: उपर्युक्त (ब) से संबंधित अनुवाद का टंकण और त्रुटिशोधन कार्य।</p> <p>9. श्री महावीर सिंह, एमटीएस कार्य विवरण: अनुभाग के अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्य, पत्र-वाहक कार्य, फाइल-रखरखाव आदि कार्य।</p>
<p>1.2.3 व 1.2.5</p>	<p>राजभाषा अनुभाग, नीति आयोग के कर्तव्य और कार्य</p>	<p>(क) संघ सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन संबंधी कार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विभाग में राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बने नियमों, राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में प्रशासनिक निर्देशों आदि का कार्यान्वयन। 2. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय हिंदी समिति तथा हिंदी के प्रयोग और प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्यान्वयन कार्य। 3. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नीति आयोग/योजना मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों का निरीक्षण तथा समिति के सुझावों/आश्वासनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित कार्य।

		<ol style="list-style-type: none"> 4. कार्यालय से संबंधित सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना। 5. हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही/छमाही प्रगति रिपोर्ट तथा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आदि को समेकित कर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को ऑनलाइन भिजवाना। 6. हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों/प्रोत्साहन योजनाएं लागू करना। 7. हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर हिंदी टिप्पण/आलेखन, निबंध प्रतियोगिता, विभागीय शब्दावली, अनुवाद प्रतियोगिता, राजभाषा हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रतियोगिता और श्रुतलेखन प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। 8. अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी ज्ञान संबंधी जानकारी एकत्र कर हिंदी शिक्षण योजना-हिंदी भाषा प्रशिक्षण, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए नामांकन संबंधी कार्य। 9. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं/सम्मेलनों/कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करना। 10. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति पर निगरानी रखना। 11. नीति आयोग/योजना मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों और इसके अनुभागों/प्रभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण करके समीक्षा करना तथा पाई गई कमियों को दूर करने हेतु सुझाव देना। <p>(ख) अनुवाद कार्य</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नीति आयोग से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और तकनीकी दस्तावेजों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य करना। 2. संसद सदस्यों के पत्रों और संसद प्रश्नों, नीति आयोग के सदस्यों से प्राप्त नीतिगत और विविध लेख (आर्टिकल) सहित कार्यालय के अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त विभिन्न दस्तावेजों का अनुवाद कार्य।
1.2.4	नीति आयोग के हिंदी अनुभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य	<p>(क) क्रम सं. 1.2.3 के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य</p> <p>(ख) अनुवाद कार्य: हिंदी अनुभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है:</p> <p>(1) कैबिनेट नोट; (2) डिटेल डिमांड फॉर ग्रांटस; (3) ग्राउंड नोट; (4) संसदीय स्थाई समिति की बैठक संबंधी की गई कार्रवाई रिपोर्ट; (5) भर्ती संबंधी विज्ञप्तियां;</p>

	<p>(6) उपाध्यक्ष, सदस्य, सीईओ एवं अपर सचिव आदि से प्राप्त विभिन्न आर्टिकल भाषण, अर्धशासकीय पत्र; (7) पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन; (8) शासी परिषद बैठक से संबंधित विभिन्न कार्य; (9) मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित विभिन्न कार्य; (10) वेब पोर्टल का कार्य; (11) संसद संबंधी प्रश्नोत्तर का अनुवाद; (12) बैंक ग्राउंड नोट; (13) कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचनाएं, आरटीआई; (14) वर्किंग पेपर (15) नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद कार्य आदि।</p>
--	---